प्रकरण संख्या 4/2024 कुन्दनमल व अन्य बनाम मोहनलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मोयणा, तहसील देवगढ़ में साबिक आराजी नंबर 217/3, 218/3, 219/3 कुल किता 3 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 277, 280 कुल किता 2 रकबा 0.8900 हैक्टर हैं। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में मंदरूप पिता वरदा के नाम दर्ज है, परन्तु मौके पर आपसी ईकरारनामा अनुसार प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु विपक्षी संख्या 1 से 6 उक्त ईकरारनामे की पालना नहीं कर प्रार्थीगण के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं तथा अन्य व्यक्ति को बेचान करने पर उतारू हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः ताफैसला मूलवाद विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 02.01.2024 को प्रकरण में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 से 6 द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री हेमन्त पालीवाल उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि पूर्व में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा इसी भूमि बाबत् अपील पेश की गयी था, जो आप न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2023 को खारिज [illegible] है। राजस्व मण्डल से उक्त प्रकरण में किसी [illegible] है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:12:37 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय में नया दावा पेश कर उसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें अपीलान्ट को बिना सुने एकपक्षीय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी है, जो त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का अन्तरिम आदेश दिनांक 02.01.2024 अपास्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRD 2014 Page 345 से 392, AIR 2000 (SC) Page 3032 से 3037, DNJ 2015 (1) (Raj.) Page 81 से 85 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्टगण ने अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है, जबकि अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। रेस्पोन्डेन्ट अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि अन्तरिम आदेश के विरूद्ध की जा सकती, जबकि विधि अनुसार अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील किये जाने का प्रावधान है। जहां तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का प्रश्न है, हाल जमाबन्दी अनुसार अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 से 6 विवादित आराजियात के रेकार्डेड खातेदार हैं तथा रेकार्डेड खातेदार को बिना सुने उसके विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का अन्तरिम आदेश प्रथम दृष्टया न्याय के विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 1/2024 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.01.2024 अपास्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 14.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:12:33 IST
Reason: SelfAttested